अनुक्रमांक/Roll No. | | | |

M.P.H.J.S. (L.C.E.) – 2023

प्रथम प्रश्न–पत्र
FIRST QUESTION PAPER

समय – 2:00 घण्टे
Time – 2:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

कुल प्रश्नों की संख्या : 100
Total No. of Questions: 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 36
No. of Printed Pages: 36

निर्देश : –
Instruction :-

1. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। All questions carry equal Marks.
2. प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें।

   The question paper contains 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise they should ask for another question paper.
3. प्रश्न पत्र के इस आवरण पृष्ठ पर प्रश्न–पत्र के कुल पृष्ठों की संख्या दी गई। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न–पत्र मांग लें।

   Total number of pages indicates on this cover page of question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
4. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदनुसार अंकित करें।

   Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.
5. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नही।

   Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.
6. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

   If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
7. ऋणात्मक मूल्यांकन नही किया जायेगा।

   There shall be no negative marking.

Law Lexicon & Maxims

Que.1 The meaning of maxim *"Furiosis nulla voluntas est"* is:-
(a) A child below the seven years has no will.
(b) A minor is not capable to make contract.
(c) A mad man has no will.
(d) An accused is capable to make contract.

Que.2 *"Commodum ex injuria sua nemo habere debet"* means :-
(a) No party can take undue advantage of his own wrong.
(b) Where there is a right there is a remedy.
(c) Injury without damage.
(d) Damage without Injury.

Que.3 The cardinal principle of Criminal Law *"Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege"* means :
(a) No crime or punishment can exist without a pre-existing penal law.
(b) A man is presumed to be innocent until proven guilty.
(c) Ignorance of law is no excuse.
(d) An act must be accompanied by a criminal intent to constitute an offence.

Que.4 The principle on which a dying declaration is admitted in evidence is indicated in legal maxim:
(a) nemo moriturus proesumitur mentiri.
(b) lex fori.
(c) res inter alia acta.
(d) None of the above.

Que.5 *"potior est canditio possidentis"* means :-
(a) No party can take undue advantage of his own possession.
(b) In equal fault, better is the condition of the possessor.
(c) Possession includes not only physical possession, but also intention to exercise the physical control.
(d) A thing which has no owner.

General English

Que.6 Opposite word of Abridge is :-
(a) Lengthen

(b) Shorten
(c) To build
(d) To demolish

Que.7 The expression "a cock and bull story", denotes that :-
(a) Fabricated and incredible.
(b) Real and actual fact.
(c) Facts proved beyond reasonable doubt.
(d) Fight between two persons.

Que.8 Use a correct preposition -
The employees demanded pay parity ---- their counter parts in the Central Government.
(a) towards
(b) as
(c) with
(d) like

Que.9 What is the antonym of "Foremost"
(a) Eminent
(b) Unimportant
(c) Premature
(d) Mature

Que.10 One who cannot be corrected
(a) Incurable
(b) Incorrigible
(c) Retrievable
(d) Invulnerable

Basics of Computer

Que.11 A table can be inserted by using the shortcut key in Libre Office writer:-
(a) ctrl+F9
(b) ctrl+F10
(c) ctrl+F11
(d) ctrl+F12

Que.12 Which function key is used to check spellings:-
(a) F1
(b) F3
(c) F5
(d) F7

Que.13 Arithmetic Logic Unit -
I - Perform arithmetic operations
II - Store data
III - Perform comparison
IV - Communicate with input devices
(a) I only
(b) II only
(c) I and II only
(d) I and III only.

Que.14 "USB" stands for -
(a) Universal Sequential Bus
(b) Unique Sequential Bus
(c) Universal Serial Bus
(d) Unique Serial Bus

Que.15 What's considered the back bone of the world wide web?
(a) Uniform Resource Locator.
(b) Hyper text Markup Language.
(c) Hyper text Transfer Protocol.
(d) File Transfer Protocol

Indian Penal Code, 1860, Criminal Procedure Code, 1973 and Evidence Act, 1872

प्र.क्र.16 अभियुक्त ने परिवादी से यह प्रतिरूपित किया कि वह स्पर्श द्वारा उपचार करने की आलोकिक शक्तियॉ रखता है और परिवादी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह विश्वास दिलाया, कि वह इस प्रकार की देवीय शक्ति रखता है। उसने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि वह उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री, जो जन्मजात मूक बधिर है, को उसकी निःशक्तता से ठीक कर देगा । उसने परिवादी से ₹5000 की मांग की जो परिवादी द्वारा संदाय किये गये, परंतु परिवादी अपेक्षित परिणाम नहीं पा सका। अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय निम्न धाराओं के अंतर्गत आरोपित किया जा सकता है :–
(अ) धारा 403 और धारा 406
(ब) धारा 417 और धारा 418
(स) धारा 415 और धारा 420
(द) धारा 416 और धारा 419

Que. The accused represents complainant that he has supernatural divine healing powers through his touches and either directly or indirectly makes complainant believe that he has such divine powers. He assured complainant that his 15-year-old daughter, who is congenitally a deaf and dumb child, would be cured of her impairment through his divine powers. He demanded a sum of ₹ 5000, which was paid by the complainant; however complainant could not get the desired result. The accused can be charged for the offence punishable under section of Indian Penal Code, 1860 :-

(a) Section 403 and Section 406.
(b) Section 417 and Section 418.
(c) Section 415 and Section 420.
(d) Section 416 and Section 419.

प्र.क्र.17 दो पक्षों के मध्य हुए स्वतंत्र संघर्ष में –

(अ) दोनों पक्षों को प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है।
(ब) प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्ति से व्यक्ति के विरूद्ध उपलब्ध है।
(स) केवल एक पक्ष को प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है।
(द) दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है।

Que. In a free fight between two parties –

(a) Right of private defense is available to both the parties.
(b) Right of private defense is available to individuals against individual.
(c) Right of private defense is available only to one party.
(d) No right of private defense is available to either party.

प्र.क्र.18 निम्न में से कौनसी धारा '*autrefois acquit*' और '*autrefois convict*' के सिद्धांत पर आधारित है –

(अ) दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 289
(ब) दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 295
(स) दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 300
(द) दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 327

Que. Which of the following section is based on doctrine of *'autrefois acquit'* and *'autrefois convict'* ?

(a) Section 289 of the Criminal Procedure Code, 1973
(b) Section 295 of the Criminal Procedure Code, 1973
(c) Section 300 of the Criminal Procedure Code, 1973
(d) Section 327 of the Criminal Procedure Code, 1973

प्र.क्र.19 मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले का विचारण साथ–साथ करने की दशा में प्रक्रिया अपनायी जाएगी –

(अ) परिवाद पर संस्थित मामले के अनुसार।

(ब) पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामले के अनुसार।
(स) जो विचारण न्यायालय को सुविधाजनक लगे।
(द) ऐसी प्रक्रिया जैसा मजिस्ट्रेट निर्देश दे।

Que. In case of trying together the complaint case and the case arising out of the police report, the procedure to be followed by Magistrate-
(a) shall be of the complaint case.
(b) shall be of the cases instituted on a police report.
(c) as per the convenience of the trial court.
(d) shall be one as directed by the magistrate.

प्र.क्र.20 साक्षी द्वारा न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने की दशा में विरोधी पक्ष –
(अ) उस बिन्दु पर अधिकार स्वरूप प्रतिपरीक्षण कर सकता है।
(ब) केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षण कर सकता ळें
(स) किसी भी दशा में प्रतिपरीक्षण नहीं कर सकता है।
(द) दूसरे पक्ष की सहमति से प्रतिपरीक्षण कर सकता है।

Que. In case, a witness answers Courts question, the opposite party –
(a) can do cross examination as a matter of right.
(b) can cross examine with the permission of the court.
(c) cannot cross examine in any condition.
(d) can cross examine with the consent of other party.

प्र.क्र.21 सामान्यतः "बोलम्स टेस्ट" आपराधिक उपेक्षा का अभिनिर्धारण करने के लिये लागू किया जाता है :–
(अ) चिकित्सा व्यवसायी की।
(ब) एक वाहन के चालक की।
(स) एक कारखाने के कर्मकार की।
(द) दुपहिया वाहन के पीछे बैठे हुये व्यक्ति की।

Que. Normally "Bolam's test" is applied for determining the criminal negligence of :-
(a) Medical practitioner.
(b) Driver of a vehicle.
(c) Worker of a factory.
(d) Pillion rider of a two wheeler.

प्र.क्र.22 निम्न से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित गया है कि जहां अप्राप्तवय, स्वयं के कृत्य का पूर्ण अर्थ समझने की क्षमता और ज्ञान रखते हुए, अभियुक्त की किसी सहायता अथवा उत्प्रेरण बिना, स्वेच्छया अपने संरक्षक की देखरेख का परित्याग करता है वहां व्यपहरण का आरोप नहीं बनेगा। –
(अ) वंदना सिंह बनाम प्रशांत कुमार 2021 एस सी सी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1204
(ब) अनवेर सिंह बनाम गुजरात राज्य (2021) 3 एस सी सी 12
(स) एस. वरदराजन विरूद्ध मद्रास राज्य, ए आई आर 1965 एस सी 942
(द) शंकरभाई कचराभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1965 एस सी 1260

Que. In which case it has been held by Hon'ble Supreme Court that a charge of kidnapping would not be made out in a case where a minor, with the knowledge and capacity to know the full import of her actions, voluntarily abandons the care of her guardian without any assistance or inducement on the part of the accused. -

(a) Vandana Singh Vs Prashant Kumar 2021 SCC Online SC 1204
(b) Anver Sinh Vs State of Gujrat (2021) 3 SCC 12
(c) S. Varadarajan v. State of Madras, AIR 1965 SC 942
(d) Shankarlal Kachrabhai and Others Vs State of Gujarat, AIR 1965 SC 1260

प्र.क्र.23 एक स्त्री यह कहते हुये कुंए की ओर भागी कि वह उसमें कूद जायेगी, परंतु उसे वहां तक पहुॅचने से पहले ही पकड़ लिया गया। वह दोषी है :–

(अ) आत्महत्या कारित करने का प्रयत्न।
(ब) हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का प्रयत्न।
(स) आत्महत्या का अपराध।
(द) कोई अपराध नहीं।

Que. A woman ran to a well stating that she would jump in it but she was caught before she could reach it. She is guilty of :-

(a) attempt to suicide.
(b) attempt to culpable homicide not amounting to murder.
(c) offence of suicide.
(d) no offence.

प्र.क्र.24 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है :–

(अ) धारा 34 साक्ष्य का नियम है और विशिष्ट तथा सारभूत अपराध गठित करता है।
(ब) धारा 34 न तो साक्ष्य का नियम है और ना ही विशिष्ट और सारभूत अपराध गठित करता है।
(स) धारा 34 साक्ष्य का नियम नहीं है परंतु विशिष्ट और सारभूत अपराध गठित करता है।
(द) धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है और विशिष्ट और सारभूत अपराध गठित नहीं करता है।

Que. Which of the following is true about Section 34 of the Indian Penal Code, 1860:-

(a) Section 34 is a rule of evidence and creates distinct and substantive offence.
(b) Section 34 is neither a rule of evidence nor creates distinct and substantive offence.
(c) Section 34 is not a rule of evidence, but it creates distinct and substantive offence.
(d) Section 34 is only a rule of evidence and does not create any distinct and substantive offence.

प्र.क्र.25 किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संदेह कितना भी गंभीर हो, को सबूत का स्थान लेने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिये। आपराधिक विचारणों में नैतिक दोषसिद्धि अथवा गंभीर संदेह के सिद्धांत को लागू करने का दायरा नहीं है। :–

(अ) त्रिवेणी बेन. विरूद्ध गुजरात राज्य (1988) 4 एस सी सी 574

(ब) हरिचरण कुर्मी विरूद्ध बिहार राज्य ए आई आर 1964 एस सी 1184

(स) शमशेर सिंह विरूद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (1996) 7 एस सी सी 99

(द) शरद कुमार त्यागी विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस सी सी 736

Que. In which case the constitutional Bench of Hon'ble Supreme Court has held that suspicion, however grave, must not be allowed to take the place of proof. In criminal trials, there is no scope for applying the principle of moral conviction or grave suspicion.

(a) Triveniben v. State of Gujarat (1988) 4 SCC 574

(b) Haricharan Kurmi vs. State of Bihar AIR 1964 SC 1184

(c) Samsher Singh Vs High Court of Punjab & Haryana (1996) 7 SCC 99

(d) Sharad Kumar Tyagi v. State of Uttar Pradesh (1989) 1 SCC 736

प्र.क्र.26 सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बिना किसी परिहार के आजीवन कारावास का दण्डादेश :–

(अ) उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होगा।

(ब) उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन नहीं होगा।

(स) एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होगा।

(द) उसकी शक्ति से बाहर है।

Que. A sentence of imprisonment for life without remission passed by a Sessions Judge/Additional Sessions Judge -

(a) is subject to confirmation by the High Court.

(b) is not subject to confirmation by the High Court.

(c) is subject to confirmation in SLP by the Supreme Court.

(d) is beyond his power.

प्र.क्र.27 अपीलार्थी द्वारा उसकी दोषसिद्धि और मृत्यु अथवा कारावास के दण्ड के विरूद्ध संस्थित की गई अपील में उसकी मृत्यु के बाद कौन अपील जारी रखने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :–

(अ) पारंपरिक वंशज को छोड़कर अपीलार्थी का कोई निकट नातेदार।

(ब) माता पिता को छोड़कर अपीलार्थी का कोई निकट नातेदार।

(स) भाई या बहिन को छोड़कर अपीलार्थी का कोई निकट नातेदार।

(द) अपीलार्थी का कोई भी निकट नातेदार।

Que. Who may present an application to continue appeal filed by the appellant against his conviction and sentence of death or of imprisonment, after his death :-

(a) near relative of appellant except lineal descendant.

(b) near relative of appellant except parent.
(c) near relative of appellant except brother or sister.
(d) any near relative of appellant.

प्र.क्र.28 जब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लेने का प्रभाव ..... होगा :–
(अ) दोषमुक्ति
(ब) उन्मोचन
(स) उपशमन
(द) (अ) और (ब)

Que. The effect of withdrawal of prosecution under the section 321 of the Code of Criminal Procedure, 1973, when under the Code of Criminal Procedure, 1973 no charge is required, will be ..... :-
(a) acquittal.
(b) discharge.
(c) abatement.
(d) both (a) and (b) of above.

प्र.क्र.29 "व्यतिक्रम जमानत" अथवा "वैधानिक जमानत" का अधिकार उत्पन्न होता है :–
(अ) संज्ञान लेने से पहले
(ब) चार्जशीट फाईल किये जाने से पहले
(स) आरोप विरचित किये जाने से पहले
(द) (अ) और (ब) दोनों

Que. Right of "default bail" or "statutory bail" accrues:-
(a) before taking cognizance.
(b) before filing of chargesheet.
(c) before framing charges.
(d) Both (a) & (b).

प्र.क्र.30 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 के अपवाद–4 को प्रभाव में लाने के लिये यह स्थापित करना होगा कि–
(अ) अपराधी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे।
(ब) अपराधी अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई लड़ाई में पूर्व चिंतन किये बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है।
(स) अपराधी गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जिसने वह प्रकोपन दिया है।
(द) अपराधी लोक सेवक होते हुये विधि द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण करता है।

Que. For bringing in operation of Exception 4 to Section 300 IPC, it has to be established that -
(a) the offender in exercise of the right of private defense exceeds the power given to him by law,

(b) the offender, without premeditation, commits murder of a person in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel,
(c) the offender, whilst deprived of the power of self control by grave & sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation
(d) the offender, being a public servant exceeds the power given to him by the law,

प्र.क्र.31 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है, यदि वह अपराध –
(अ) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थिति में किया जाये, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि यदि निजी प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।
(ब) लूट है।
(स) अग्नि द्वारा किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को रिष्टी कारित करना है, जो कि मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. Under Indian Penal Code, 1860 the right to Private defence of property extends to causing death of any person, if the offence is :
(a) Theft, mischief or house trespass, under such circumstances a may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence, if such right of private defense is not exercised.
(b) Robbery.
(c) Mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which is used as a human dwelling or as a place for the custody of property.
(d) All of the above.

प्र.क्र.32 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई या विश्वास की गई, नहीं कही जाती जो–
(अ) सम्यक सतर्कता या लगन के बिना की गई हो।
(ब) सम्यक ध्यान से या सद्भाव के बिना गई हो।
(स) सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Under the Indian Penal Code, 1860, nothing is said to be done or believed in "good faith" which is:
(a) done without due care or diligence.
(b) done without due attention or bonafide.
(c) done without due care and attention.
(d) None of the above.

प्र.क्र.33 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में "पुरूष" शब्द का द्योतक है, मानव नर, जो कि –

(अ) किसी भी आयु का है।
(ब) 16 वर्ष से अधिक आयु का है।
(स) 18 वर्ष से अधिक आयु का है।
(द) 21 वर्ष से अधिक आयु का है।

Que. Under the Indian Penal Code, 1860 a "man" denotes a male human being of :

(a) Any age.
(b) Above 16 years of age.
(c) Above 18 years of age.
(d) Above 21 years of age.

प्र.क्र.34 यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय आदेश करेगा –

(अ) कुर्क की गई सम्पत्ति विक्रय नहीं करने का।
(ब) कुर्क की गई सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने का।
(स) सम्पत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का।
(द) कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने का।

Que. Under the Code of Criminal Procedure, 1973 if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the Court shall make an order -

(a) not to sale attached property.
(b) to assess the actual value of the attached property.
(c) releasing the property from the attachment.
(d) to auction the attached property.

प्र.क्र.35 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–200 के अंतर्गत किस आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक नहीं है –

(अ) परिवादी का शपथ के अधीन परीक्षण करना।
(ब) परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करना।
(स) अभियुक्त को सुनने का अवसर देना।
(द) मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना।

Que. Which of the following requirement need not be followed under section 200 of the Code of Criminal Procedure, 1973 -

(a) Examination of the complainant must be under oath.
(b) To reduced in writing the substance of examination.
(c) To give opportunity to accused, to be heard.
(d) To be signed by the Magistrate.

प्र.क्र.36 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–160 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी, जो कि एक मामले का अन्वेषण कर रहा है, निम्न में से किन व्यक्तियों को ऐसे स्थान से, जिसमें वे व्यक्ति निवास करते है, से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं कर सकता –

(अ) 15 वर्ष से कम आयु का पुरूष।
(ब) 65 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष।
(स) किसी भी आयु की महिला।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. The Police officer, who is investigating a case under section 160 of the Code of Criminal Procedure, 1973 cannot require the attendance at a place other than the place of residence, of:
(a) a male who is under the age of 15 years
(b) a male who is above the age of 65 years
(c) a woman of any age.
(d) All of the above.

प्र.क्र.37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–33 के अंतर्गत किसी साक्षी द्वारा दी गई अभिसाक्ष्य पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत नहीं होती है –
(अ) जब वह साक्षी देश से बाहर निवास कर रहा हो।
(ब) जब उस साक्षी की मृत्यु हो गई हो।
(स) जब वह साक्षी मिल नहीं सकता है।
(द) जब वह साक्षी साक्ष्य देने के लिये असमर्थ है।

Que. The evidence given by the witness will not be relevant in subsequent proceeding under section 33 of the Indian Evidence Act, 1872 -
(a) When the witness is staying abroad.
(b) When the witness is dead.
(c) When witness cannot be found.
(d) When witness is incapable of giving evidence.

प्र.क्र.38 किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अजमानतीय अपराध में जमानत देने अथवा न देने हेतु प्राथमिक मापदण्ड अपराध की प्रकृति और गंभीरता है। न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साख और विश्वसनीयता के प्रश्न पर नहीं जा सकता। अभियोजन साक्षीगण की साख और विश्वसनीयता का प्रश्न केवल विचारण के दौरान ही परखा जा सकता है।
(अ) नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 15 एस सी सी 422
(ब) श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (II) बनाम तमिलनाडू राज्य (2005) 8 एस सी सी 771
(स) केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो बनाम पी. एस. जयप्रकाश एवं अन्य (2023) 1 एस सी सी 314
(द) सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2007) 11 एस सी सी 195

Que. In which case Hon'ble Supreme Court has held that in granting or non-granting of bail in non-bailable offence, the primary consideration is the nature and gravity of the offence. The Court cannot go in to the question of credibility and reliability of the witnesses put up by the prosecution. The question of credibility and reliability of prosecution witnesses can only be tested during the trial.
(a) Neeru Yadav Vs State of Uttar Pradesh (2016) 15 SCC 422
(b) Sri Jayendra Saraswathy Swamigal (II) Vs State of Tamilnadu

(2005) 8 SCC 771

(c) Central Bureau of Investigation Vs P. S. Jayaprakash and Another (2023) 1 SCC 314

(d) Satish Jaggi Vs State of Chhattisgarh (2007) 11 SCC 195

प्र.क्र.39 कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का, जिसमें वह पक्षकार है अथवा वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है :–

(अ) न तो विचारण करेगा और न उसे विचारणार्थ सुपुर्द करेगा।

(ब) उस न्यायालय की अनुमति से, जिसमें उस न्यायालय की अपील होती है, उस मामले का विचारण कर सकेगा।

(स) उच्च न्यायालय की अनुमति से उस मामले का विचारण कर सकेगा।

(द) उसे केवल विचारणार्थ सुपुर्द कर सकेगा।

Que. Any Judge or Magistrate in any case, in which he is himself a party, or personally interested -

(a) shall not try or commit for trial such case.

(b) with the permission of the Court to which an appeal lies for his Court, try such case.

(c) with the permission of the High Court, try such case.

(d) only commit for trial such case.

प्र.क्र.40 किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि एक व्यक्ति जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित न हो अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हो किंतु जिसके विरूद्ध अभियोगपत्र पेश न किया गया हो अथवा जिसे उन्मोचित कर दिया गया हो, को धारा 319 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के समन किया जा सकता है यदि साक्ष्य से यह प्रकट हो कि उस व्यक्ति का, पूर्व से विचारण का सामना कर रहे अन्य अभियुक्तगण के साथ विचारण किया जा सकता है।

(अ) सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 2022 एस सी 1420

(ब) हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 13 एस सी सी 608

(स) हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एस सी सी 92

(द) लाभूजी अम्रतजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य (2019) 12 एस सी सी 644

Que. In which case constitutional bench of Hon'ble Supreme Court held that a person not named in the First Information Report or a person though named in named in the First Information Report but has not been charge-sheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973, provided from the evidence it appears that such person can be tried along-with the accused already facing trial.

(a) Sagar Vs State of Uttar Pradesh AIR 2022 SC 1420

(b) Harbhajan Singh Vs State of Punjab (2009) 13 SCC 608

(c) Hardeep Singh Vs State of Punjab (2014) 3 SCC 92

(d) Labhuji Amratji Thakor Vs State of Gujarat (2019) 12 SCC 644

Civil Procedure Code, 1908, Transfer of Property Act, 1882 and Contract Act, 1872

प्र.क्र.41 निम्न में से कौन सी सम्पत्ति व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत कुर्की योग्य नहीं है–

(अ) सरकारी प्रतिभूतियॉ।

(ब) बैंक नोट।

(स) लेखा बही।

(द) धन के लिये बंधपत्र या अन्य प्रतिभूतियॉ।

Que. Which of the following property is not liable for attachment under the Civil Procedure Code, 1908 -

(a) Government securities.

(b) Bank notes.

(c) Books of account.

(d) Bonds or other securities for money.

प्र.क्र.42 विधि के बिन्दु पर निर्णय प्रांडन्याय का प्रभाव रखता है :–

(अ) केवल यदि पश्चात्वर्ती वाद का वाद हेतुक पूर्ववर्ती वाद के समान है और विधि के बिन्दु पर सही निर्णय पारित किया गया है।

(ब) यदि पश्चात्वर्ती वाद हेतुक पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, भले ही विधि के बिन्दु पर गलत निर्णय पारित किया गया हो।

(स) यदि पश्चात्वर्ती वाद हेतुक पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, केवल तभी जबकि विधि के बिन्दु पर सही निर्णय पारित किया गया हो।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. A decision on an issue of law operates as *res-judicata*-

(a) If the cause of action in the subsequent suit is similar as in former suit, only when the decision on the point of law is correct.

(b) If the cause of action in the subsequent suit is directly and substantially in issue in former suit, even if the decision on the point of law may be erroneous.

(c) If the cause of action in the subsequent suit is directly and substantially in issue in former suit, only when the decision on the point of law is correct.

(d) None of the above.

प्र.क्र.43 वादी की मृत्यु के पश्चात् पक्षकार बनाये जाने और वाद में अग्रसर होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा –

(अ) वादी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा।

(ब) वादी के अधिवक्ता द्वारा।

(स) प्रतिवादी द्वारा।

(द) उपरोक्त सभी।

Que. An application to be made a party and proceed with the suit after the plaintiff dies shall be made -
(a) by the legal representative of plaintiff.
(b) by advocate of plaintiff.
(c) by the defendant.
(d) All of the above.

प्र.क्र.44 वाद की सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाये जाने के बीच के समय में, किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो आदेश 22 नियम 6 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार –
(अ) कार्यवाही उपशमित हो जाएगी।
(ब) चाहे वाद हेतुक बचा हो या न बचा हो कार्यवाही का उपशमन नहीं होगा।
(स) यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह आदेशित करे कि कार्यवाही उपशमित हुई है या नहीं हुई है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Between the conclusion of hearing and pronouncing of the judgment, if either party dies, then under Order 22 Rule 6 of Civil Procedure Code, 1908 -
(a) The proceeding shall abate.
(b) Whether the cause of action survies or not, there shall be no abatement.
(c) It is the discretion of the Court to order whether proceeding has abated or not.
(d) None of the above.

प्र.क्र.45 जहां प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार, ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वह–
(अ) अंतिम डिक्री की अपील में प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को विवादित कर सकता है।
(ब) अंतिम डिक्री की अपील में प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को विवादित करने से प्रवारित रहेगा।
(स) अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील नहीं कर सकता है।
(द) अंतिम डिक्री पारित होने के बाद भी, प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील कर सकता है।

Que. where any party aggrieved by a preliminary decree, does not appeal from such decree-
(a) He may dispute the correctness of preliminary decree in an appeal from the final decree.
(b) He shall be precluded from disputing the correctness of preliminary decree in any appeal from the final decree.
(c) He cannot file an appeal against the final decree.
(d) He may file an appeal against preliminary decree even after passing the final decree.

प्र.क्र.46 गारनिशी आदेश एक आदेश है –

(अ) निर्णीत ऋणी के ऋणी को निर्णीत ऋणी को कोई भी भुगतान करने से रोकने का।
(ब) डिक्रीधारी को निर्णीत ऋणी के ऋणी से भुगतान प्राप्त करने का।
(स) दोनों (अ) और (ब)
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. A Garnishee order is an order –
(a) prohibiting the judgment debtor's debtor from making any payment to the judgment debtor.
(b) directing the judgment debtor's debtor to make payment to decree holder.
(c) Both (A) and (B)
(d) None of the above

प्र.क्र.47 "जब पुनर्भुगतान शुरू होता है, तब प्रत्यास्थापन रूक जाता है" यह सिद्धांत लागू किया जा सकता है –
(अ) केवल मूढ़ और जड़ व्यक्ति के विरूद्ध।
(ब) केवल विदेशी शत्रु के विरूद्ध।
(स) केवल अवयस्क के विरूद्ध।
(द) उपरोक्त सभी के विरूद्ध।

Que. "Restitution stops where repayment begins" is a principal which can be applied against
(a) Lunatic and idiots only
(b) Alien enemy only
(c) Minors only
(d) All the above

प्र.क्र.48 निम्न में से क्या भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत कपट नहीं है –
(अ) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना, जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है।
(ब) किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना।
(स) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना, जो यह विश्वास करता है कि वह सत्य है।
(द) कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो।

Que. Which one of the following does not amount to 'fraud' under the Indian Contract Act, 1872 ?
(a) the suggestion, as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true.
(b) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact.
(c) the suggestion, as a fact, of that which is not true, by one who believes it to be true.

(d) a promise made without any intention of performing it.

प्र.क्र.49 संविदा भंग की दशा में, जहां शास्ति खण्ड अनुबद्ध है, इसका यह आशय है कि –
(अ) संविदा भंग की शिकायत करने वाले पक्ष को वास्तविक नुकसानी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।
(ब) संविदा भंग की शिकायत करने वाले पक्ष को संविदा भंग के वास्तविक परिणामों को प्रमाणित करना होगा।
(स) यह विवेकाधिकार न्यायालय का है।
(द) यह विवेकाधिकार त्रुटिकर्ता पक्ष का है।

Que. In case of breach of contract, where the penalty clause is stipulated, it means -
(a) the party complaining the breach of contract need not prove actual loss.
(b) the party complaining the breach of contract must prove actual loss of breach of contract.
(c) the discretion lies with the court.
(d) the discretion lies with the defaulter.

प्र.क्र.50 इस आशय की डिक्री प्राप्त करने का दावा कि बंधककर्ता बंधक सम्पत्ति के बंधकमोचन के अधिकार से पूरी तरह वर्जित हो जाएगा, है –
(अ) दावे हेतु वाद।
(ब) ब्याज हेतु वाद।
(स) व्यय हेतु वाद।
(द) पुरोबंध हेतु वाद।

Que. A suit to obtain a decree that a mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called -
(a) Suit for claim.
(b) Suit for interest.
(c) Suit for cost.
(d) Suit for foreclosure.

प्र.क्र.51 द्वितीय पुनर्विलोकन आवेदन वर्जित है :–
(अ) धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।
(ब) धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।
(स) धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।
(द) धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।

Que. Second review application is barred under :-
(a) Section 114 read with Order 47 Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908.
(b) Section 114 read with Order 47 Rule 5 of the Code of Civil Procedure, 1908.
(c) Section 114 read with Order 47 Rule 7 of the Code of Civil Procedure, 1908.

(d) Section 114 read with Order 47 Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908.

प्र.क्र.52 किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधिमान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला वाद वर्जित है :–
(अ) धारा 19 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।
(ब) धारा 21 सिविल प्रक्रिया संहितभ, 1908 के अंतर्गत।
(स) धारा 21–ए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।
(द) धारा 22 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत।

Que. A suit to challenging the validity of a decree passed in a former suit, on any ground based on an objection as to the place of suing is barred:-
(a) under Section 19 of Code of Civil Procedure, 1908.
(b) under Section 21 of Code of Civil Procedure, 1908.
(c) under Section 21-A of Code of Civil Procedure, 1908.
(d) under Section 22 of Code of Civil Procedure, 1908.

प्र.क्र.53 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में व्यक्त किया गया है कि एक प्रथम दृष्ट्या मामला होने की संतुष्टि, व्यादेश देने का अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायालय को आगे संतुष्ट होना पड़ता है कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किये जाने का परिणाम अनुतोष चाहने वाले पक्षकार को अपूर्णीय क्षति है और पक्षकार को व्यादेश प्रदत्त किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं है और वह आशंकित क्षति अथवा बेकब्जा किये जाने से संरक्षण की आवश्यकता रखता है ?
(अ) प्रहलाद सिंह विरूद्ध सुखदेव सिंह (1987) 1 एस सी सी 727
(ब) प्रहलाद दास गुप्ता विरूद्ध तनेजा बस सर्विस श्योपुर 1988 एस सी सी ऑनलाइन एम पी 31
(स) दलपत कुमार विरूद्ध प्रहलाद सिंह (1992) 1 एस सी सी 719
(द) प्रहलाद दास वर्मा विरूद्ध पद्मा बाई 1990 एस सी सी ऑनलाइन एम पी 27

Que. Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient ground to grant injunction. The Court further has to satisfy that non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession, Hon'ble Supreme Court has observed in which case ?
(a) Prahlad Singh Vs Sukhdev Singh (1987) 1 SCC 727
(b) Prahlad Das Gupta Vs Taneja Bus Service Sheopur 1988 SCC Online MP 31
(c) Dalpat Kumar Vs Prahlad Singh (1992) 1 SCC 719
(d) Prahlad Dass Verma Vs Padma Bai 1990 SCC Online MP 27

प्र.क्र.54 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस आदेश के अंतर्गत ऐसे साक्षी जिसका परीक्षण किया जा चुका है, को पुनः बुलाने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है :–
(अ) आदेश 18 नियम 16
(ब) आदेश 18 नियम 17
(स) आदेश 18 नियम 18
(द) आदेश 18 नियम 19

Que. Under which order of the Code of Civil Procedure, 1908, the power to recall of any witness, who has been examined, is exercised,
(a) Order 18 Rule 16
(b) Order 18 Rule 17
(c) Order 18 Rule 18
(d) Order 18 Rule 19

प्र.क्र.55 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा विबंधन के पोषण के सिद्धांत पर आधारित है ?
(अ) धारा 41
(ब) धारा 42
(स) धारा 43
(द) धारा 44

Que. Which section of the Transfer of Property Act, 1872 is based on rule of feeding the estoppels ?
(a) section 41
(b) section 42
(c) section 43
(d) section 44

प्र.क्र.56 सपंत्ति अंतरण अधिनियम, 1872 के किस प्रावधान के अंतर्गत वर्णित बंधक के लिये पंजीकरण अपेक्षित नहीं है ?
(अ) धारा 58 (ग) के अंतर्गत सृजित बंधक।
(ब) धारा 58 (घ) के अंतर्गत सृजित बंधक।
(स) धारा 58 (ङ) के अंतर्गत सृजित बंधक।
(द) धारा 58 (च) के अंतर्गत सृजित बंधक।

Que. Mortgage described under which provision of the Transfer of Property Act, 1872 does not require registration ?
(a) Mortgage created under section 58 (c)
(b) Mortgage created under section 58 (d)
(c) Mortgage created under section 58 (e)
(d) Mortgage created under section 58 (f)

प्र.क्र.57 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन होता है :–

(अ) एक अभिकर्ता
(ब) एक प्रतिभू
(स) एक उपनिहिती
(द) एक पणयमदार

Que. Responsibility of a person under the Indian Contract Act, 1872, who finds goods belonging to another, and takes them into his custody is subject to the same responsibility as :
(a) An agent.
(b) A surety.
(c) A bailee.
(d) A pawnee.

प्र.क्र.58 क को ख "एक सौ टन तेल" बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिये कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित था। :–
(अ) करार संविदा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शून्यकरणीय है।
(ब) करार संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शून्य है।
(स) करार संविदा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत शून्य है।
(द) करार संविदा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत शून्य है।

Que. A agrees to sell to B "a hundred tons of oil". There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. :-
(a) The agreement is voidable under section 19 of the Indian Contract Act, 1872.
(b) The agreement is void under section 20 of the Indian Contract Act, 1872.
(c) The agreement is void under section 29 of the Indian Contract Act, 1872.
(d) The agreement is void under section 30 of the Indian Contract Act, 1872.

प्र.क्र.59 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अंतर्गत पागल व्यक्ति को जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के लिये दावा :–
(अ) पागल से व्यक्तिगत तौर पर प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य है जब उसका पागलपन ठीक हो जाता है।
(ब) पागल की संपत्ति अथवा संपदा से प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य नहीं है।
(स) पागल के विधिक संरक्षक से प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य है।
(द) पागल की संपत्ति से प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य है।

Que. Claims for necessaries suited to his condition in life of a lunatic person under section 68 of the Indian Contract Act, 1872 :-
(a) can be reimbursed from the lunatic personally, when he ceased to be lunatic.
(b) can not be reimbursed from the lunatic's property or estate.
(c) can be reimbursed from the legal guardian of lunatic.

(d) can be reimbursed from his property.

प्र.क्र.60 धारा 53–क संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1872 के बारे में क्या सही है :–

(1) मौखिक विक्रय अनुबंध के आधार पर इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है, यदि एक पक्ष संपत्ति के कब्जे में नहीं है।

(2) मौखिक विक्रय अनुबंध के आधार पर इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा उपलब्ध है, यदि एक पक्ष संपत्ति के कब्जे में है।

(3) लिखित विक्रय अनुबंध होने पर इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी यदि एक पक्ष संपत्ति के कब्जे में है और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका ळें

(अ) (1) सही है।

(ब) (2) सही है।

(स) (3) सही है।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Which is true about the Section 53-A of the Transfer of Property Act, 1872 is :-

(i) The defence under this section is not available on the basis of an oral agreement of sale, if a party is not in possession of the property.

(ii) The defence under this section is available on the basis of an oral agreement of sale, if a party is in possession of the property.

(iii) The defence under this section is available in the case of a written agreement of sale, if a party is in possession of the property and has done something in furtherance of contract.

(a) (i) is true.

(b) (ii) is true.

(c) (iii) is true.

(d) None of the above.

Specific Relief Act, 1963

प्र.क्र.61 विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बारे में क्या सत्य है :–

(अ) यह प्रक्रियात्मक तथा भविष्यलक्षी है।

(ब) यह प्रक्रियात्मक तथा भूतलक्षी है।

(स) यह तात्विक तथा भविष्यलक्षी है।

(द) यह तात्विक तथा भूतलक्षी है।

Que. What is correct about the Specific Relief (Amendment) Act, 2018:-

(a) It is procedural and prospective.

(b) It is procedural and retrospective.

(c) It is substantive and prospective.

(d) It is substantive and retrospective.

प्र.क्र.62 बिना अतिरिक्त सहायता के घोषणा के वाद की प्रचलनशीलता पर आपत्ति –

(अ) प्रारम्भिक अवस्था पर ही आवश्यक रूप से उठायी जा सकती है।

(ब) कार्यवाही के किसी भी चरण में उठायी जा सकती है।

(स) पहली बार अपील में उठायी जा सकती है।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. The objection as to maintainability of the suit of declaration without further relief -
(a) may be necessarily taken at an initial stage.
(b) may be taken at any stage of the proceedings.
(c) may be taken for the first time in appeal.
(d) All of the above.

प्र.क्र.63 जबकि प्रतिवादी, वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग के अधिकार पर आक्रमण करे या आक्रमण करने की धमकी दे तब न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है :–
(अ) जहॉ कि प्रतिवादी, वादी के लिये उस सम्पत्ति का न्यासी हो।
(ब) जहॉ कि उस वास्तविक नुकसान का, जो कि उस आक्रमण द्वारा कारित है या जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है, अभिनिश्चय करने के लिए मानक विद्यमान हो।
(स) जहॉ कि किसी बाध्यता का भंग निवारित करने के लिए कतिपय कार्यों का पालन विवश कराना आवश्यक हो।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right to, or enjoyment of, property, the court may grant a perpetual Injunctions in the following cases namely :-
(a) where the defendant is trustee of the property for the plaintiff.
(b) where there standard for ascertaining the actual damage caused, or likely to be caused, by the invasion exists.
(c) Where, to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts.
(d) All the above.

प्र.क्र.64 व्यादेश प्रदान किया जा सकता है –
(1) किसी बाध्यता का भंग निवारित करने को।
(2) ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्टतः पालन प्रवर्तनीय नहीं है।
(3) किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को, जिसमें वादी उपमत नहीं हुआ।
(4) किसी व्यक्ति को विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरूद्ध करने को।
(अ) (1) एवं (2)
(ब) (1) एवं (3)
(स) (2) एवं (4)
(द) उपरोक्त सभी।

Que. Injunction may be granted –
(i) To prevent the breach of an obligation.

(ii) To prevent the breach of a contract the performance of which would not be specifically enforced.

(iii) To prevent a continuing breach in which the plaintiff has not acquiesced.

(iv) To restrain any person from applying to any legislative body.

(a) (i) and (ii)
(b) (i) and (iii)
(c) (ii) and (iv)
(d) All the above.

प्र.क्र.65 किसी संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त उसके प्रतिकर के लिए दावा वादपत्र में संशोधन के माध्यम से जोड़े जाने हेतु आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करता है। न्यायालय ऐसा आवेदन स्वीकार करेगा .....

(अ) कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर।
(ब) विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय।
(स) ऐसा आवेदन वादपत्र में वादी द्वारा ऐसे प्रतिकर का दावा न किये जाने के कारण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(द) मामला निर्णय हेतु नियत किये जाने के पूर्व तक।

Que. In a suit for specific performance of a contract, plaintiff applies under Order 6 Rule 17 of the Code of Civil Procedure, 1908 for adding the claim of compensation in addition to relief of specific performance. The Court shall allow such application .....

(a) at any stage of proceeding.
(b) at any time before commencement of trial.
(c) such application shall not be entertained on account of not claiming of such compensation by plaintiff.
(d) till the case is fixed for judgment.

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

प्र.क्र.66 अध्याय–4 के अंतर्गत अपराध कारित करने से विरत् रहने की प्रतिभूति ली जाती है–

(अ) छः माह से अनधिक अवधि के लिये।
(ब) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये।
(स) तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये।
(द) पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये।

Que. Security for abstaining from commission of offence under chapter IV is taken for the period of -

(a) not exceeding six months
(b) not exceeding one year
(c) not exceeding three years
(d) not exceeding five years

प्र.क्र.67 माननीय उच्चतम न्यायालय की किस संवैधानिक पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत एक सूचनाकर्ता अनुसंधान अधिकारी भी हो सकता है। एक सामान्य सिद्धांत के रूप में एक अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्ति का हकदार नहीं होगा कि सूचनाकर्ता और अनुसंधान अधिकारी एक हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसंधान पूर्वाग्रहित और पक्षपाती है। ऐसे मामले को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर निर्णित किया जाना होता है। –

(अ) बूटा सिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य 2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 324
(ब) मुकेश सिंह विरूद्ध राज्य (नार्कोटिक्स ब्रांच देहली) (2020) 10 एस सी सी 120
(स) मोहन लाल विरूद्ध पंजाब राज्य (2018) 17 एस सी सी 627
(द) भगवान सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य (1976) 1 एस सी सी 15

Que. In which case a Constitutional Bench of Hon'ble Supreme Court has held that under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 an investigating officer can also be an informant. An accused is not entitled to acquittal as a general principal on the ground that the informant and investigating officer are the same. It cannot be said that the investigation is unfair or biased. The matter has to be decided on a case-to-case basis.

(a) Boota Singh Vs State of Haryana 2021 SCC Online SC 324
(b) Mukesh Singh Vs State (Narcotic Branch of Delhi) (2020) 10 SCC 120
(c) Mohan Lal Vs State of Punjab (2018) 17 SCC 627
(d) Bhagwan Singh Vs State of Rajasthan (1976) 1 SCC 15

प्र.क्र.68 "कैनिबस (हैम्प)" से अभिप्रेत है :–

(1) किसी भी रूप में, पृथक किया गया रेजिन, जो कैनिबस के पौधे से प्राप्त किया गया हो, जिसमें सांद्रित निर्मित और रेजिन आता है।
(2) कैनिबस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे।
(3) कैनिबस के पौधे के बीज एवं पत्तियां

(अ) केवल (1) एवं (2)
(ब) केवल (1) एवं (3)
(स) केवल (2) एवं (3)
(द) उपरोक्त सभी

Que. "cannabis (hemp)" means—

(i) The separated resin, in whatever form, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant and also includes concentrated preparation and resin.
(ii) The flowering or fruiting tops of the cannabis plant.
(iii) The seeds and leaves of the cannabis plant.

(a) Only (i) and (ii)
(b) Only (i) and (iii)
(c) Only (ii) and (iii)
(d) All of the above

प्र.क्र.69 क्या अभिग्रहित स्वापक औषधि का व्ययन विचारण के दौरान किया जा सकता है ?
(अ) व्ययन न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है।
(ब) व्ययन न्यायालय की अनुमति के बिना किया जा सकता है।
(स) व्ययन साक्ष्य अभिलेखन के उपरांत किया जा सकता है।
(द) उसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

Que. Whether seized narcotic drug can be disposed off during the pendency of trial ?
(a) It can be disposed of with the permission of the court.
(b) It can be disposed of without the permission of the court.
(c) It can be disposed of after recording of evidence.
(d) It can be treated as primary evidence.

Limitation Act, 1963

प्र.क्र.70 निम्न में से कौन सा वैध अभिस्वीकृति का आवश्यक लक्षण नहीं है ?
(अ) लिखित में।
(ब) विहित काल के अवसान के पहले की गई हो।
(स) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की गई हो।
(द) पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित हो।

Que. Which of the following is not essential characteristic of a valid acknowledgement ?
(a) in writing.
(b) Made before the expiration of the prescribed period of time.
(c) made before the competent authority.
(d) Signed by the party.

प्र.क्र.71 क्या धारा 17 परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन वादी को सम्यक् तत्परता से उस कपट या भूल का पता चल सकता था, यह है –
(अ) विधि का प्रश्न।
(ब) तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले में साक्ष्य से प्रकट होने वाले तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना होगा।
(स) तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न।
(द) विधि का सारवान प्रश्न।

Que. Whether a plaintiff could with reasonable diligence have discovered the fraud or mistake under Section 17 of Limitation Act, 1963 is a ?
(a) Question of law.
(b) Question of fact to be decided on the basis of facts disclosed in each case.
(c) Mixed question of law and fact.
(d) Substantial question of law.

प्र.क्र.72 निम्न में से क्या धारा 6 परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन एक विधिक निर्योग्यता नहीं है?

(अ) अप्राप्तवय
(ब) पागल
(स) जड़
(द) दिवालियापन

Que. Which of the following is not a Legal disability in terms of Section 6 of Limitation Act, 1963 ?

(a) Minor
(b) Insane
(c) Idiot
(d) Insolvency

Negotiable Instrument Act, 1881

प्र.क्र.73 धारा 25 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अभिव्यक्ति लोक अवकाश दिन सम्मिलित करती है :–

(अ) रविवार तथा राज्य शासन अथवा केंद्र शासन द्वारा शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा घोषित अन्य दिन।
(ब) रविवार तथा ऐसा अन्य कोई दिन जो केंद्र शासन द्वारा शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा लोक अवकाश घोषित किया है।
(स) दोनों (अ) और (ब) सही है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. The expression "public holiday" under section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1881 includes :-

(a) Sunday and any other day declared by the Central Government or State Government by notification in the Official Gazette.
(b) Sunday and any other day declared by the Central Government by notification in the Official Gazette, to be a public holiday.
(c) both (a) and (b) are true.
(d) None of the above.

प्र.क्र.74 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में यह अवधारित किया है कि द्वितीय या पश्चातवर्ती चैक अनादरण पर आधारित परिवाद प्रचनशील होगा यदि पूर्ववर्ती चैक अनादरण के उपरांत वैधानिक नोटिस देने के बावजूद यदि परिवाद नहीं लगाया गया है –

(अ) एम एस आर लेदर्स विरूद्ध पलानीअप्पन एवं एक अन्य (2013) 1 एस सी सी 177.
(ब) सदानन्दन भद्रन विरूद्ध माधवन सुनील कुमार (1998) 6 एस.सी.सी. 514
(स) सील इम्पोर्ट यु एस ए विरूद्ध इक्सिम एड्स सिल्क एक्पोर्टस (1994) 4 एस सी सी 567
(द) कृष्णा एक्सपोर्ट्स विरूद्ध राजू दास (2004) 13 एस सी सी 498

Que. In which judgment it has been held by Hon'ble Supreme Court that a complaint based on a second or successive dishonor of cheque is

maintainable, if no complaint based on an earlier dishonor of cheque followed by statutory notice issued on the basis thereof has been filed.-

(a) M S R Leathers Vs. S.Palaniappan and Anr. (2013) 1 SCC 177.
(b) Sadanandan Bhadran Vs. Madhvan Sunil Kumar (1998) 6 SCC 514.
(c) Sil Import USA Vs. Exim Aides Silk Exporters (1994) 4 SCC 567.
(d) Krishna Exports Vs. Raju Das (2004) 13 SCC 498.

प्र.क्र.75 धारा 138 परक्राम्य लिखतम अधिनियम के तहत चैक लेखीवाल द्वारा दोषसिद्धि की अपील की दशा में अपील न्यायालय अपीलार्थी को निम्न में से कौन सी राशि न्युनतम रूप से जमा करने के लिए आदेशित कर सकती है –

(अ) विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड अथवा प्रतिकर राशि का 10 प्रतिशत।
(ब) चैक राशि का 20 प्रतिशत।
(स) विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड अथवा प्रतिकर राशि का 20 प्रतिशत।
(द) चैक राशि का 50 प्रतिशत।

Que. In an appeal by the drawer against conviction under section 138 of the Negotiable Instrument Act, the Appellate Court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of -

(a) 10 percent of the fine or compensation awarded by the trial Court.
(b) 20 percent of the cheque amount.
(c) 20 percent of the fine or compensation awarded by the trial Court.
(d) 50 percent of the cheque amount.

Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959

प्र.क्र.76 एक कोटवार की मृत्यु होने पर सेवा भूमि संक्रात होगी :–

(अ) उसके विधिक प्रतिनिधियों को।
(ब) उसके उत्तराधिकारियों को।
(स) उसके उत्तरवर्ती को।
(द) शासन को।

Que. If a kotwar dies the service land shall pass to :-

(a) his legal representatives.
(b) his legal heir.
(c) his successor-in-office.
(d) Government.

प्र.क्र.77 धारा 170ए एवं धारा 170बी मध्य–प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 भू–स्वामियों को, जो ऐसी जनजाति का हो, जिसे कि धारा 165 की उपधारा 1 के अधीन ..... घोषित किया गया हो, के हितों की रक्षा करता है।

(अ) आदिम जनजाति।
(ब) अनुसूचित जाति।
(स) सीमांत कृषक।
(द) शासकीय पट्टेदार।

Que. Section 170A and 170B of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 safeguards the interests of those Bhmiswamis, belonging to a tribe, which has been declared to be an ..... under sub-section (6) of Section 165.
(a) aboriginal tribe.
(b) scheduled cast.
(c) marginal cultivator.
(d) Government lessee.

प्र.क्र.78 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह अवधारित किया है कि जब वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में उत्परिवर्तन प्रविष्टि चाही गई हो, तो वह पक्षकार जो वसीयत के आधार पर स्वामित्व/हक का दावा कर रहा है, उसे उचित सिविल न्यायालय में जाना चाहिए और अपने अधिकार सुस्पष्ट करवा लेना चाहिए। –
(अ) जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 802
(ब) सत्यनाथ एवं अन्य बनाम सरोजमणि (2022) 7 एस सी सी 644
(स) इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल एवं अन्य (2020) 8 एस सी सी 129
(द) इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र (2018) 3 एस सी सी 412

Que. In which case it has been observed by Hon'ble Supreme Court that when the mutation entry is sought to be made on the basis of the will, the party who is claiming title/right on the basis of the will has to approach the appropriate civil court and get his rights crystallized.
(a) Jitendra Singh vs State of MP 2021 SCC Online SC 802
(b) Sathyanath and another vs Sarojmani (2022) 7 SCC 644
(c) Indore Development Authority vs Manoharlal and others (2020) 8 SCC 129
(d) Indore Development Authority vs Shailendra (2018) 3 SCC 412

प्र.क्र.79 जब तक कि सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदान के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न किया जाये, समस्त खनिजों, खानों तथा खदानों का अधिकार .... में निहित होगा :–
(अ) भुमि के स्वामी
(ब) ग्राम की आबादी भुमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्ति
(स) राज्य सरकार
(द) केन्द्र सरकार

Que. Unless it is otherwise expressly provided by the terms of a grant made by the Government, the right to all minerals, mines and quarters shall vest in the .....
(a) Owner of the land
(b) All the persons occupant of abadi land of the village
(c) State Government
(d) Central Government

प्र.क्र.80 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन के आदेश के विरूद्ध अपील किसके समक्ष होगी ?
(अ) उप–खण्ड अधिकारी
(ब) कलेक्टर
(स) कमिश्नर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Under section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 against the order of demarcation by Tahsildar, a appeal lies before whom ?
(a) Sub-Divisional Officer
(b) Collector
(c) Commissioner
(d) None of the above

Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961

प्र.क्र.81 जब किरायेदार के विरूद्ध सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के समक्ष बेदखली का आवेदन दिया जाता है –
(अ) किरायेदार को अधिकार के रूप में आवेदन का जवाब पेश करने का अधिकार है।
(ब) वह आवेदन का प्रतिरोध नहीं कर सकता जब तक कि किरायेदार आवेदन पेश कर भाड़ा नियंत्रण अधिकारी से आवेदन का विरोध करने की अनुमति अभिप्राप्त नहीं कर लेता।
(स) भाड़ा नियंत्रण अधिकारी ऐसा आवेदन निराकृत नहीं कर सकता।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. When application for eviction of a tenant on the ground of bonafide requirement is filed before the Rent Controlling Authority -
(a) The tenant has a right to file reply as matter of right.
(b) Shall not contest the application unless the tenant obtains the leave of Rent Control Authority to contest the case.
(c) The Rent Controlling Authority cannot decide such application.
(d) None of the above.

प्र.क्र.82 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अध्याय–3–क के प्रयोजनों के लिये "भू–स्वामी" की परिभाषा में कौन सम्मिलित नहीं है –
(अ) सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी।
(ब) एक विधवा।
(स) एक विच्छिन्न विवाह पत्नी।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Who is not included in the definition of "Landlord" for the purposes of Chapter III-A of Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 -
(a) a retired government servant.

(b) a widow.
(c) a divorced wife.
(d) None of the above.

प्र.क्र.83 भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश (अध्याय–3–क में पारित आदेश के अलावा) की अपील निम्न में से किस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी –
(अ) प्रधान जिला न्यायाधीश / जिला न्यायाधीश।
(ब) संभागीय आयुक्त।
(स) कलेक्टर।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. An appeal shall lie from every order (except order passed under chapter III-A) of the Rent Controlling Authority, to -
(a) Principal District judge / District Judge.
(b) Divisional Commissioner
(c) Collector
(d) None of the above.

प्र.क्र.84 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से अभिप्रेत है :–
(अ) अनुविभागीय अधिकारी
(ब) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी
(स) उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(द) उपरोक्त सभी

Que. Rent Controlling Authority means:-
(a) Sub-divisional officer.
(b) An officer appointed under section 28 of Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961.
(c) Sub-divisional Magistrate.
(d) All of above.

प्र.क्र.85 किस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भू–स्वामियों के लिये यह खुला होगा कि वह सद्भावी आवश्यकता के आधार पर अथवा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12 में उल्लेखित किसी आधार पर सिविल न्यायालय में सिविल वाद फाईल करे। इसी प्रकार भू–स्वामियों के लिये यह भी खुला होगा कि वह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 23–ञ के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष सद्भावी आवश्यकता के आधार पर वाद बनाये रखें :–
(अ) मूलचंद घूरीलाल विरूद्ध प्रहलाददास रामलाल वैश्य
(ब) अशोक कुमार शिवप्रसाद वर्मा विरूद्ध बाबूलाल और अन्य
(स) रामचंद्र सिंह जादौन विरूद्ध सत्यप्रकाश गुप्ता
(द) रामबाबू वैश्य विरूद्ध हरिकृष्णा

Que. In which case a Full Bench of Hon'ble High Court of Madhya Pradesh has held that It will be open for the landlords to file a civil suit in the Civil Court on the ground of the bona fide requirement or on any other

grounds mentioned in section 12 of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961. Similarly, it will be open for the landlords defined in section 23-J of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 to maintain a suit before the Rent Controlling Authority on the ground of reasonable bona fide requirement :-

(a) Moolchand Ghurilal vs Prahlad Das Ramlal Vaishya
(b) Ashok Kumar Shiv Prasad Verma vs. Baboolal and another
(c) Ramchandra Singh Jadon vs Satya Prakash Gupta.
(d) Rambaboo Vaisya vs Harikrishna.

Medical Jurisprudence

प्र.क्र.86 घाव का कालापन दर्शित करता है कि :–
(अ) शॉट लगभग 2 से 3 फीट की दूरी से फायर किया गया है।
(ब) शॉट लगभग 6 से 8 फीट की दूरी से फायर किया गया है।
(स) शॉट लगभग 8 से 10 फीट की दूरी से फायर किया गया है।
(द) शॉट 10 फीट की अधिक दूरी से फायर किया गया है।

Que. Blackening of the wound show that :-
(a) the shot is fired at from a distance about two to three feet.
(b) the shot is fired at from a distance about six to eight feet.
(c) the shot is fired at from a distance about eight to ten feet.
(d) the shot is fired at from a distance more than ten feet.

प्र.क्र.87 डायटम टेस्ट का उपयोग किया जाता है–
(अ) पानी में डूबने से हुई मृत्यु की पुष्टि के लिये।
(ब) रासायनिक विष के सेवन से हुई मृत्यु की पुष्टि के लिये।
(स) नशीले पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु की पुष्टि के लिये।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Diatom test is conducted -
(a) For confirmation of death from drowning.
(b) For confirmation of death from consuming chemical poisoning.
(c) For confirmation of death from consuming drugs.
(d) None of the above.

प्र.क्र.88 ड्यूपट्रिन वर्गीकरण के अनुसार जलने को वर्गीकृत किया गया है –
(अ) दो डिग्री में।
(ब) तीन डिग्री में।
(स) चार डिग्री में।
(द) छः डिग्री में।

Que. As per the Dupuytren's classification burns are classified into -
(a) two degrees.

(b) three degrees.
(c) four degrees.
(d) six degrees.

प्र.क्र.89 मृत्यु के प्रारंभिक लक्षण हैं –
(अ) मांसपेशियों में मृत्युतर परिवर्तन
(ब) सड़न अथवा विघटन
(स) ममीकरण
(द) शरीर का ठंडा पड़ना

Que. The early signs of a death are -
(a) Cadaveric changes in the muscles.
(b) Putrefaction or decomposition.
(c) Mummification.
(d) Cooling of the body.

प्र.क्र.90 गतिशील स्पर्म संभोग के बाद ..... पाये जा सकते हैं –
(अ) 24 घण्टे तक
(ब) 72 घण्टे तक
(स) 100 घण्टे तक
(द) 60 घण्टे तक

Que. Motile spermatozoa can be found after ..... of intercourse -
(a) up to 24 hours
(b) up to 72 hours
(c) up to 100 hours
(d) up to 60 hours

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

प्र.क्र.91 लैंगिक हिंसा से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दण्डनीय किसी अपराध करने का प्रयत्न दण्डनीय है –
(अ) लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 की धारा 16 के तहत
(ब) लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 की धारा 17 के तहत
(स) लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 की धारा 18 के तहत
(द) लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 की धारा 19 के तहत

Que. Attempt to commit an offence punishable under the Protection of Children from sexual offence act 2012 is punishable under –
(a) Section 16 of the POCSO Act 2012
(b) Section 17 of the POCSO Act 2012
(c) Section 18 of the POCSO Act 2012
(d) Section 19 of the POCSO Act 2012

प्र.क्र.92 यह प्रावधान कि विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार–बार नहीं बुलाया जाये लैंगिक हिंसा से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा ..... में दिया गया है।

(अ) धारा 33 (2)
(ब) धारा 33 (3)
(स) धारा 33 (4)
(द) धारा 33 (5)

Que. The provision that the Special Court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court has been provided under ..... of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(a) Section 33 (2)
(b) Section 33 (3)
(c) Section 33 (4)
(d) Section 33 (5)

प्र.क्र.93 निम्न में से कौन सा गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं है :–

(अ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(ब) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(स) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है।
(द) जो कोई, यह जानते हुए कि बालिका गर्भ से है, बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

Que. Which of the following is not Aggravated Penetrative Sexual Assault -

(a) Whoever commits gang penetrative sexual assault on a child.
(b) Whoever commits Penetrative Sexual Assault on a child below sixteen years.
(c) Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child.
(d) Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant.

प्र.क्र.94 कोई व्यक्ति, जो लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बालक की पहचान का मीडिया में प्रकटन करेगा दण्डित किया जायेगा–

(अ) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से।
(ब) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से।
(स) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से।
(द) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से अथवा दोनों से।

Que. Any person who discloses the identity of a child in the media in contravention of provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be punished with -
(a) imprisonment of either description for a period which shall not be less than three months but which may extend to one year or with fine or with both.
(b) imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.
(c) imprisonment of either description for a period which shall not be less than one year but which may extend to three year or with fine or with both.
(d) imprisonment of either description for a period which shall not be less than two years but which may extend to five year or with fine or with both.

प्र.क्र.95 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधियिम 2012 की धारा 30 के स्पष्टीकरण के अनुसार "आपराधिक मानसिक दशा" में शामिल नहीं है –
(अ) आशय
(ब) ज्ञान का कारण
(स) किसी तथ्य में विश्वास
(द) किसी तथ्य का ज्ञान

Que. As per explanation to section 30 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 "Culpable mental state" does not include -
(a) Intention
(b) Reason of knowledge
(c) Belief in a fact
(d) Knowledge of a fact

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

प्र.क्र.96 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध क्या दण्डादेश पारित नहीं किया जा सकता –
(अ) मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसमें रिहा होने की संभावना न हो।
(ब) पांच साल का कठोर कारावास।
(स) बालक को सामुदायिक सेवा करने का आदेश।
(द) बालक को विशेष गृह में भेजने का आदेश।

Que. What sentence cannot be passed against the child in conflict with law -
(a) The sentence of death or for life imprisonment without the possibility of release.
(b) The sentence of five years rigorous imprisonment.

(c) Order the child to perform community service.
(d) The order of directing the child to be sent to a Special Home.

प्र.क्र.97 ऐसे बालक के संबंध में, जो विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाये, बोर्ड नहीं कर सकता है–
(अ) बालक को सामूहिक परामर्श में भाग लेने का निदेश।
(ब) बालक को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने और योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश।
(स) बालक को चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का निदेश।
(द) बालक को उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात करना।

Que. In respect of child found to be in conflict with law, the Board cannot -
(a) direct the child to participate in group counseling.
(b) direct the child to be released on probation of good conduct and place him under the care of any fit person.
(c) direct the child to be send to a special home, for period not exceeding four years.
(d) allow the child to go home after advice or admonition.

प्र.क्र.98 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत समिति अथवा बोर्ड स्वयं के समक्ष लाये गये व्यक्ति की आयु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित साक्ष्य की वांछा किस वरीयताक्रम में करेगा –
(1) ऑसिफिकेशन परीक्षण
(2) स्कूल से प्राप्त जन्म दिनांक प्रमाणपत्र
(3) नगर निगम या नगरपालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र
(अ) (3), (2) एवं (1)
(ब) (1), (2) एवं (3)
(स) (2), (3) एवं (1)
(द) (2), (1) एवं (3)

Que. Under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Committee or the Board while determining the age of a person brought before it shall seek the following evidence in which preferential order -
(i) Ossification test
(ii) Date of birth certificate from school
(iii) Birth certificate given by a Corporation or a Municipal Authority
(a) (iii), (ii) and (i)
(b) (i), (ii) and (iii)
(c) (ii), (iii) and (i)
(d) (ii), (i) and (iii)

Information Technology Act, 2000

प्र.क्र.99 इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम, निम्न कार्य नहीं करती है–
(अ) सायबर घटनाओं संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार।
(ब) सायबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनियॉ।
(स) सायबर घटनाओं की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, मोचन और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त, सलाह, अति संवेदनशील टीप और श्वेत पत्र जारी करना।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. The Indian Computer Emergency Response Team does not perform the following functions -
(a) collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents;
(b) forecast and alerts of cyber security incidents;
(c) issue guidelines, advisories, vulnerability notes and white-papers relating to information security practices, procedures, presentation, response and reporting of cyber incidents.
(d) None of the above.

प्र.क्र.100 किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66–ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को यह अभिनिर्धानित करते हुए समाप्त किया था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद (19) (1) (अ) का उल्लंघन करती है ?
(अ) रिनी जौहर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 11 एस सी सी 703
(ब) तरूण त्यागी बनाम सी बी आई (2017) 4 एस सी सी 490
(स) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ ए आई आर 2015 एस सी 1523
(द) बी पी सिंघल बनाम भारत संघ (2010) 6 एस सी सी 331

Que. In which case Hon'ble Supreme Court of India has struck down section 66- A of the Information Technology Act, 2000, holding that it as violative of Article 19(1) (a) of the Constitution of India ?
(a) Rini Johar vs State of Madhya Pradesh (2016) 11 SCC 703
(b) Tarun Tyagi vs CBI (2017) 4 SCC 490
(c) Shreya Singhal vs Union of India AIR 2015 SC 1523
(d) B. P. Singhal vs Union of India (2010) 6 SCC 331

------**XX**-------